



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य, झाँसी

दिनांक- 29.04.2025

❖ जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

अवगत करना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में केस नं० 11/11 अ०सं० 541/10 धारा 279/337/427 भादवि थाना कोतवाली झाँसी से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त दीपक यादव पुत्र रघुवीर सिंह यादव निवासी ग्राम मियांपुर थाना चिरगाँव जिला झाँसी हाल पता मोहल्ला करइयनपुरा किसान मशीनरी स्टोर के पास मेन रोड करबा व थाना चिरगाँव झाँसी के विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्लू का अनुपालन कराते हुये थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा वारण्टी दीपक यादव उपरोक्त को आज दिनांक 29.04.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/गुमशुदा का विवरण –

1. दीपक यादव पुत्र रघुवीर सिंह यादव निवासी ग्राम मियांपुर थाना चिरगाँव जिला झाँसी हाल पता मोहल्ला करइयनपुरा किसान मशीनरी स्टोर के पास मेन रोड करबा व थाना चिरगाँव झाँसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री मुनीन्द्र मिश्र
2. उ०नि० श्री कामता प्रसाद शर्मा
3. उ०नि० श्री ओमकार सिंह